नं. ...
(नियम ...)

अज अदालत ... ... माण्डल

गोपीलाल बनाम प्रकाश

किस्म मुकदमा ......वाद...... नं. ....171.... सन 2015

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज	...
...-9-15	वाद / प्रार्थनापत्र वाद ... प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 11-12-15 पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
11-12-15	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उप० / प्रतिवादी सं० 1 से 3 की बाद तामील प्रा० प्राप्त, जिसे शा० पत्रा० की गई। प्रतिवादी सं० 1 से 3 की U-T वकील श्री मुरलीधर जोशी ने दी। वास्ते अधिकार पत्र व जवाब हेतु दिनांक 29.4.16 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	प्रतिवादी नं. 1 से 3 की U.T. लगाई M.D. Joshi 11-12-15
29.4.16	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी ~~राजकार्य से बाहर है~~ / अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक ...14-10-16... को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर सहायक कलक्टर माण्डल	
23-5-16	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प चौपाल पर पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण के समक्ष बाद तामील / बिना तामील प्राप्त नहीं हुये। वादी की ओर से वकील श्री पवन शर्मा उपस्थित। प्रकाश चन्द्र प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित। अन्य प्रतिवादी सं. 2 से 4 उपस्थित नहीं। प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से वकील श्री मुरली धर जोशी एडवोकेट ने दिनांक 11-12-15 को अण्डर टेकिंग लेकर अधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया। अवसर दिये जाने के उपरांत आगामी दिनांक को अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया और न ही स्वयं व प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में ... लगाई जाकर प्रतिवादीगण को पुनः आवाज ... (हस्ताक्षर) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं ... माण्डल	रफीक होली देवी

प्रतिवादी क्र. 1 उपस्थित हुआ। अन्य प्रतिवादीगण क्र. 2 से 4 उपस्थित नहीं। प्रतिवादी क्र. 2 से 3 व 4 को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाज दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता। प्रतिवादी क्र. 1 ने उपस्थित होकर वाद पत्र को स्वीकार किया जाता है और इसे किसी प्रकार का एतराज नहीं है। वकील वादी शहादत प्रस्तुत नहीं कर सीधी बहस करना चाहते है अंकन किया जाता है। बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने वाद पत्र में कथित तथ्यों दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की दरख्वास्त की। प्रतिवादी क्र. 1 ने उपस्थित होकर वादी के कब्जे काश्त व खाते की कागजियात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न नहीं कर रहे हैं और न ही करेंगे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित कागजियात ग्राम चौरास पटवार हलका चौरास तहसील मांडल में स्थित होकर सुवालाल, गोपीलाल s/o मूला कुमार के नाम दर्ज रेकार्ड है [illegible] जिसकी नकल प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की नकल संवत 2069 से 2072 से होती है। वादी एवं अन्य का खातेदारान के मध्य मौके पर काइमी विभाजन के तहत आराजी नं. 197, 198, 203 व 204 वादी के हिस्से में आने से तथा प्रतिवादीगण वादी की नाजायज रंजिश रखने के कारण कागजियात के मध्य बनी हुई पक्की दिवार को ध्वस्त करके वादी के कब्जे काश्त की कागजीयात को प्रतिवादीगण अपनी कागजियात में मिलाना चाहते हैं तथा कार्य किन वादी की जमीन को हड़पने की नियत से तथा वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं जबकि स्थिति

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

प्रकरण संख्या 171/15 रा. 9? हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है वैसे भी प्रतिवादी सं. 1 ने उपस्थित होकर किसी प्रकार की दखलअंदाजी व बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अपनी ओर से वादी को आश्वस्त किया है तथा वादी अपनी स्वयं काश्त व खाते की आराजी का शांति पूर्वक उपयोग, उपभोग करने में कोई एतराज नहीं है इसके हक प्रतिवादीगण को कोई ... वादी स्वयं वाद उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र को सिद्ध करने में सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ अतः वाद पत्र स्वीकार :: आदेश :: वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम चोसराक पटवार हलका चोसराक तहसील मांडल में स्थित हाल आराजी नं. 197, 198, 200, 204 की मेड पर बनी हुयी पुरानी दिवार को न तो स्वयं दखल करे, न किसी अन्य से करावे, न किसी अन्य के हाथों / न तो स्वयं ... तथा वादी को शांति पूर्वक उपयोग, उपभोग करने में बाधा न तो स्वयं देवे। तथा किसी प्रकार की बाधा न करावे / रुकावटें उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावे। तदनुसार डिक्री फरीकैन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। (हस्ताक्षर) (देवी सिंह) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर माण्डल	